न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0 पत्र संख्या :– 119/2014
निर्णय दिनांकः– 12.07.2019

1.कजोड पुत्र फून्दा जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2.हंसराज पुत्र कजोड जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील उनियारा जिला टोक

बनाम

1–हजारीलाल पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मोती पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
3.प्रहलाद पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
4.हरिनारायण पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक
5.भंवरी पुत्री हीरा जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक नाम डिलिट दिनांक 20.10.2016
6.कजोडी पुत्री हीरा जाति माली निवासी ग्राम बालीथल तहसील उनियारा जिला टोंक नाम डिलिट दिनांक 20.10.2016
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

प्रार्थना पत्र अर्न्गत धारा 251 क भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन वकील प्रार्थीगण
श्री आर0 के0 सैनी वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम गोविन्दपुरा के खेत वर्तमान ख0न0 248 रकबा 1.55 , ख0न0 552/249 रकबा 1.08 है0 के कदीमी खातेदार व काबिज काश्तकार है। ख0न0 248 मे कुआ है और दो पक्के कमरे बने हुये ह, कुऐ पर डीजल इंजिन है, जिससे पिलाई करते है। प्रार्थीगण हमेशा से निम्नांकित ख0न0 मे होकर अपने खेतो मे ट्रेक्टर व मवेशी आदि लेकर आते जाते रहे है।

ग्राम	ख0न0	रकबा	खातेदार
गोविन्दपुरा	253	1.42	अप्रार्थी क्रं0सं0 1 से 3
गोविन्दपुरा	255	2.61	अप्रार्थी क्र.सं. 4 से 6
गोविन्दपुरा	256	1.00	अप्रार्थी क्र.सं. 4 से 6

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ख0न0 253, 255 व 256 की पश्चिमी मेर के सहारे सहारं इन तीनों नम्बरान मे होकर हमेशा से अपने ट्रेक्टर लेकर या अपने पशु लेकर अथवा पैदल आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण अक प्रार्थीगण के आन जाने व ट्रेक्अर व पशु आदि को जाने मे आये दिन झगडा करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थीगण के खेतों पर जाने का अन्य कोई दूसरा रास्ता नही है। खेतो पर हकाई जुताई बुवाई के लिये व कृषि पैदावार लाने के लिये खेतो पर आना जाना नितान्त आवश्यक है। प्शुओं का भी खेतों पर ले जाना जरूरी है। प्रार्थीगण उदयपुरियां से बालीथल जाने वाली पुख्ता सडक से गोविन्दपुरा की तन मे अपने खेतो पर जाने के लिये ख0न0 253, 255, 256 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे की भूमि रास्ते के रूप मे काम मे लेते आये है। शीट मे कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीगण भारी दुःखी है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आराजी ख0न0 253, 255 व 256 मे से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 5 मीटर चोडाई का रास्ता स्वीकृत कर नक्शे मे तरमीम कराने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षीगण के खातेदारी की आराजीयात पर होकर प्रार्थीगण का अपने खेतों पर आने जाने का ना तो पूर्व मे रास्ता है, ना ही प्रार्थीगण द्वारा कभी प्रार्थीगण की आराजीयात पर होकर अपने खेतों पर आये गये हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षीगण के खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काफी वर्षो पूर्व ही प्रतिपक्षीगण द्वारा चारों ने अपनी अपनी भूमि पर तारों की मेडबन्दी कर रखी थी, इस कारण किसी प्रकार उक्त आराजीयात पर से आने जाने का सवाल ही पेदा नही होता है। प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर आने जाने का अन्य खेतों की मेर पर होकर आते जाते रहे है, परन्तु प्रतिपक्षीगण को नाजायज परेशान करने व उन्हे हानि पहुचाने की नियत से गलत व विधि विरूद्व रूप से प्रतिपक्षीगण की आराजीयात पर होकर विधि विरूद्व प्रतिपक्षीगण की आराजीयात पर होकर रास्ता बनाना याहते है। जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि पर होकर प्रार्थीगण को रास्ता दे दिया तो प्रतिपक्षीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार फसल काश्त कर पाना तक मुश्किल हो जावेगा, जिससे प्रतिपक्षीगण का नाकाबिले तलाफी नंकसान होगा, उन्हे बडी हक तल्फी होगी तथा प्रतिपक्षीगण तबाह व बरबाद हो जावेगें। प्रार्थीगण का उक्त केस प्राईमाफैसाई तौर पर ही साबित नही है और ना सुविध का संतुलन प्रार्थीग्ण के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति प्रतिपक्षीगण को ही अधिक होगी। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 वाके ग्राम गोविन्दपुरा मे आराजी ख0न0 248 रकबा 1.55 है0 कजोड पुत्र फून्दा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

जाति मीणा सा0 उदयपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 वाके ग्राम गोविन्दपुरा मे आराजी ख0न0 552/249 रकबा 1.08 हंसराज धर्मराज पुत्र कजोड मीना सा0 उदयपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 वाके ग्राम गोविन्दपुरा मे आराजी ख0न0 255, 256, 259 कुल किता 3 कुल रकबा 3.94 हरिनारायण पुत्र गंगाबिशन व भंवरी पुत्री हीरा कोम माली सा0 बालीथल की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 वाके ग्राम गोविन्दपुरा मे आराजी ख0न0 253, 375 कुल किता 2 कुल रकबा 2.77 हजारीलाल पुत्र माधो, मोती प्रहलाद पि0 माधो, मु0 भंवरी ध0प0 माधो जाति माली सा0 बालीथल की खातेदारी मे दर्ज है।

प्रकरण मे तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट स्थिति निम्न प्रकार है:–

1.वर्तमान मे प्रार्थीगण के खातेदारी ख0न0 248, 522/249 पर आने जाने के लिये राजस्व रेकार्ड के अनुसार रास्ता नही है। प्रार्थी वर्तमान समय मे अपने खातेदारी खेत ख0न0 390, 391 की मेड के सहारे आता जाता है।

2.प्रार्थीगण को खातेदारी ख0न0 248, 522/249 पर आने जाने के लिये निम्न चार तरीको से रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है:–

(अ) .ग्राम उदयपुरियां के ख0न0 390, 391 की मेर के सहारे सहारे जैसा कि सलंग्न नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है चूंकि ख0न0 382 गे0मु0 रास्ता है।

(ब.) ग्राम उदयपुरिया के ख0न0 395, 393 की मेर के सहारे सहारे जैसा कि सलंग्न नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है चूंकि ख0न0 382 गे0मु0 रास्ता है।

(स.) ग्राम गोविन्दपुरा के ख0न0 253, 255 की मेर के सहारे सहारे जैसा कि सलंग्न नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया हैं।

(द.) ग्राम गोविन्दपुरा के ख0न0 252, 549/249, 550/249, 551/249 की मेर के सहारे सहारे जैसा कि सलंग्न नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है।

सलंग्न नक्शा ट्रेसों का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिये राजस्व रेकार्ड मे गे0मु0 रास्ता नहीं है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मे आराजी ख0न0 392 के बारे मे स्थिति स्पष्ट नही की है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये सुलभी रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 248 रकबा 1.55 , ख0न0 552/249 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा मे जाने के लिये सुलभी रास्ता आराजी ख0न0 252, 549/249, 550/249, 551/249, 253, 255 की मेर के मध्य से 15 फीट चोडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी की भूमि ख0न0 248 रकबा 1.55 , ख0न0 552/249 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील उनियारा मे आने जाने के लिये आराजी ख0न0 252, 549/249, 550/249, 551/249, 253, 255 की मेर के मध्य से 15 फीट चोडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर वर्तमान बाजार दर अनुसार प्रार्थीगण से राशी जमा कराई जावे तथा अप्रार्थीगण व रास्ते मे प्रयुक्त अन्य आराजीयात के खातेदारों को नियमानुसार भुगतान किया जावे। राजस्व रिकार्ड मे रास्ते का अमल दरामद करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

Scanned by CamScanner